166

न्यासी बोर्ड
राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/एफ.1(21)आरपीएमएफ/15–16/33वीं बी.ओ.टी./ 146 दिनांकः 7 JAN 2016

राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना के न्यासी बोर्ड की 33वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

1. राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना की 33वीं न्यासी बोर्ड की बैठक दिनांक 11–12–2015 को अपराह्न 03:00 बजे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के समिति कक्ष संख्या 1 में आयोजित की गई।

   बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया :–

   1. श्री मुकेश शर्मा, – सदस्य
      प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
   2. श्री पी. एस. मेहरा, – सदस्य
      प्रमुख शासन सचिव, वित्त
   3. डॉ. आर. वैंकटेश्वरन, – सदस्य
      पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर
   4. श्री सिद्धार्थ महाजन, – सदस्य
      विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (बजट)
   5. श्री भास्कर शर्मा, – सदस्य
      निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
   6. श्री एस. सी. देराश्री, – सदस्य
      सेवानिवृत्त आई.ए.एस.
   7. श्री भानूस्वरूप गोस्वामी, – सदस्य
      (प्रतिनिधि) अध्यक्ष, राजस्थान पेंशनर समाज, जयपुर
   8. श्री के. के. गैडियोक, – सदस्य सचिव
      निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर

   श्री वेद प्रकाश गुप्ता, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, श्री महेन्द्र सिंह भूकर, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम), श्री एन. एल. शर्मा, अति. निदेशक एवं अति. सचिव, आर.पी.एम.एफ. एवं श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव, आर.पी.एम.एफ. भी बैठक में उपस्थित थे।

2. सदस्य सचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए एजेण्डा के बिन्दुवार विवरण प्रस्तुत किये गये जिन पर विचार–विमर्श के पश्चात् निम्नानुसार निर्णय/निर्देश प्रदान किये गयेः–

3. एजेण्डा आईटम संख्या 1

न्यासी बोर्ड की 30वीं बैठक दिनांक 12–01–2015, 31वीं बैठक दिनांक 26–06–2015 एवं 32वीं बैठक दिनांक 05–08–2015 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

न्यासी बोर्ड की 30वीं बैठक दिनांक 12–01–2015, 31वीं बैठक दिनांक 26–06–2015 एवं 32वीं बैठक दिनांक 05–08–2015 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।